

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 451 / 15

संस्थापन दिनांक:-07 / 08 / 15

फाईलिंग नं. 233504002992015

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

ओंकार पिता उमराव झारिया,
 उम्र 45 वर्ष, निवासी वागदा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.12.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 289 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 10.07.2015 को शाम 07:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम वागदा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत अपने आधिपत्य का जानवर कुत्ता के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने का जो मानव जीवन को किसी अभिसंम्भाव्य संकट या उपहति से बचाने के लिए पर्याप्त हो, यह जानते हुए भी उपेक्षापूर्वक आचरण किया जिसके परिणामस्वरूप संजय वारपेटे को उपहति कारित हुई।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 10.07.2015 को शाम 7 बजे गांव से पैदल उसके घर जा रहा था। जैसे ही वह उसके घर के अंदर जा रहा था तभी उसके पड़ोस में रहने वाला ओमकार झाड़े ने उसके सफेद रंग के कुत्ते को छूँ कहकर उसके उपर दौड़ा दिया जिससे अभियुक्त के कुत्ते ने उसके दांये हाथ का पंजा पर काट लिया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 381/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है परंतु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 289 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.07.2015 को शाम 07:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम बागदा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत अपने आधिपत्य का जानवर कुत्ता के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने का जो मानव जीवन को किसी अभिसंभाव्य संकट या उपहति से बचाने के लिए पर्याप्त हो, यह जानते हुए भी उपेक्षापूर्वक आचरण किया जिसके परिणामस्वरूप संजय बारपेठे को उपहति कारित हुई ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 संजय बारपेठे (अ.सा.-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना एक वर्ष पुरानी होकर ग्राम बागदा की शाम 7 बजे की मेन रोड की थी। घटना के समय वह रोड से जा रहा था तभी एक कुत्ते ने उसे काट दिया था जिससे उसके हाथ में चोटें आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने पुलिस रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) थाने में की थी जिस पर पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-4) तैयार किया था। आहत/फरियादी संजय बारपेठे (अ.सा.-3) द्वारा अभियोजन की घटना का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि उसे दिनांक 10.07.2015 को अभियुक्त ओमकार के कुत्ते ने काटा था तथा अभियुक्त ने जानबूझकर कुत्ते को उसके उपर छोड़ा था जिससे कुत्ते ने उसे काटा था। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी बल्लू (अ.सा.-1) एवं दिलीप (अ.सा.-2) ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। उक्त साक्षियों से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से घटना दिनांक को फरियादी संजय को कुत्ते के काटे जाने से चोट आना प्रमाणित पाया जाता है परंतु यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि फरियादी को जिस कुत्ते ने काटा था वह अभियुक्त का कुत्ता था और अभियुक्त ने उसे फरियादी पर दौड़ाया जिससे उसे उपहति कारित हुई। स्वयं फरियादी ने प्रतिपरीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसने पुलिस में केवल कुत्ते के द्वारा काटने के संबंध में रिपोर्ट लिखवायी थी। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 289 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः

युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने अपने आधिपत्य का जानवर कुत्ता के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने का जो मानव जीवन को किसी अभिसंभाव्य संकट या उपहति से बचाने के लिए पर्याप्त हो, यह जानते हुए भी उपेक्षापूर्वक आचरण किया जिसके परिणामस्वरूप संजय वारपेठे को उपहति कारित हुई। निष्कर्षतः अभियुक्त ओमकार को धारा 289 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)